न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

अपील संख्या : 08 / 2016 (आरसीएमएस संख्या : 2016 / 00420)

रामेश्वर पुत्र स्व0 श्री रामकरण, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर

अपीलान्ट्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
2. मंगल पुत्र स्व0 श्री धन्ना, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील –फागी, जिला–जयपुर।
3. रोडू पुत्र स्व0 श्री धन्ना, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
4. काना पुत्र श्री मंगल, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर।
5. हरिनारायण पुत्र श्री रोडू, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील –फागी, जिला–जयपुर।
6. सुवा पुत्र श्री छोटू, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर (लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर।

रेस्पोडेन्ट्स

(राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्व आज्ञा नायब तहसीलदार, फागी दिनांक 25.01.2016 मि0सं0 144 / 2005 उनवानी सरकार बनाम रामकरण वगैराह)

उपस्थितः–
1. श्री शिवसिंह चौधरी, अभिभाषक, अपीलान्ट् की ओर से।
2. पेरोकार सरकार।
3. रेस्पोडेन्ट् संख्या 2 लगायत 6 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय दिनांक : 23.12.2019

नायब तहसीलदार, फागी ने अपनी आज्ञा दिनांक 25.01.2016 द्वारा रामकरण, मंगला, रोडू, छोटू पि0 धन्ना, सुवा पुत्र छोटू, काना पुत्र मंगला, रामेश्वर पुत्र रामकरण, हरिनारायण पुत्र रोडू, जाति–जाट, निवासी–ग्राम देवनगर(लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर को आराजी खसरा नम्बर 315 कुल रकबा 11 बीघा 07 बिस्वा व आराजी खसरा नम्बर 374 / 1 कुल रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा किस्म जमीन बारानी अव्वल में मूंगफली व बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करने का दोषी पाये जाने से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित कर रामकरण, मंगला, रोडू, छोटू पि0 धन्ना, सुवा पुत्र छोटू, काना पुत्र मंगला, रामेश्वर पुत्र रामकरण, हरिनारायण पुत्र रोडू, जाति–जाट, निवासी–ग्राम

देवनगर(लदाना), तहसील–फागी, जिला–जयपुर को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल करने तथा वार्षिक लगान राशि 25.74 रूपये का 50 गुणा राशि रू0 1287/– रू0 की दर से 11 वर्ष के लिए 14157/– रू0 शास्ति आरोपित कर, आदेश की पालना में टी.आर.ए./पटवारी हल्का को मांग कायमी फसल जब्त कर निलामी कार्यवाही कर राशि राजकोष में जमा कराने व बेदखली हेतु लिखे जाने के आदेश दिये गये हैं, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस रेस्पोडेन्ट् जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री शिव सिंह चौधरी का कथन है कि अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 25.01.2016 विधि–विधान व पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी जो कि अपीलान्ट की खातेदारी–काश्तकारी की कब्जेशुदा भूमि है, के सम्बन्ध में पटवारी हल्का ने सम्वत्–2062 में मूंगफली व बाजरा काश्त कर रामकरण, मंगला, रोडू, छोटू पि0 श्री धन्ना, सूवा पुत्र श्री छोटू, काना पुत्र मंगला, रामेश्वर पुत्र रामकरण, हरिनारायण पुत्र रोडू, जाति–जाट द्वारा अतिचार किया जाना जाहिर किया है, जिसके 11 वर्ष पश्चात् नायब तहसीलदार, फागी द्वारा बिना तथ्यों की जांच किऐ व अपीलान्ट को सुनवाई–साक्ष्य का समुचित अवसर दिऐ बिना कानूनी–प्रक्रिया को दर–किनार कर एकतरफा आज्ञा पारित की है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी दिनांक 07.10.1961 को अपीलान्ट के पिता रामकरण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र रूघनाथ को आवंटित हुई है, आवंटन के साथ ही कब्जा संभलाया है, 10 वर्ष पश्चात् खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 326 दिनांक 25.03.1973 को विधिवत स्वीकार कर जमाबन्दी में अमल बहेसियत खातेदार–काश्तकार दर्ज किया गया है। इस आराजी के सम्बन्ध में ग्रामवासियों ने अति0 कलक्टर (तृतीय), जयपुर के न्यायालय में प्रार्थना–पत्र 14(4) प्रस्तुत किया था, जिसका मुकदमा नं0 119/1979 है। न्यायालय ने वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार आवन्टी को प्राप्त हो जाने से आवन्टन निरस्त नहीं किया और तहसीलदार, फागी को प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत उचित कार्यवाही किये जाने हेतु रिमाण्ड किया है। अति0 कलक्टर (तृतीय), जयपुर की आज्ञा दिनांक 29.09.1997 के विरूद्ध आम जनता देव नगर ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर के समक्ष 6 वर्ष पश्चात् अपील पेश की। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा दिनांक 17.05.2005 को अपील स्वीकार की जाकर आवंटन दि0 07.10.1961 को खारिज कर दिया। राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवंटी रामकरण ने माननीय राजस्व मण्डल

राजस्थान, अजमेर में दिनांक 21.05.2005 को पेश की जिसका नम्बर निगरानी/एलआर सं0/2465/2005 दर्ज है। इस निगरानी प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र पर दिनांक 06.06.2005 को सुना जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा पारित आज्ञा दिनांक 7.05.2005 में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही मण्डल के अन्य आदेश तक स्थगित रखी जाने का आदेश पारित किया गया। निगरानी आज भी लम्बित है परन्तु राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर की आज्ञा दिनांक 17.05.2005 की अनुपालना में तहसीलदार, फागी ने वादग्रस्त आराजी को सिवायचक का नामान्तरकरण संख्या 188 भरकर दिनांक 04.06.2005 को खातेदार रामकरण की खातेदारी समाप्त कर दी। नामान्तरकरण संख्या 188 के विरूद्ध आवंटी रामकरण ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की। इस निगरानी के साथ ही प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुनकर दिनांक 28.06.2005 को स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 188 के सम्बन्ध में पारित आज्ञा दिनांक 04.06.2005 को स्टे कर दिनांक 28.06.2005 को राजस्व रेकार्ड की जो स्थिति थी उसका यथास्थिति रखने के आदेश दिऐ गऐ। इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा दिनांक 06.06.2005 व 28.06.2005 को पारित स्थगन आज्ञा प्रभावी रहते हुऐ जिसमें तहसीलदार, फागी पक्षकार है, मण्डल के आदेशों की अवहेलना कर पटवारी हल्का लदाना की रिपोर्ट दिनांक 08.08.2005 के आधार पर एक ही संयुक्त नोटिस में 15 बीघा आराजी में सम्वत् 2062 में मूंगफली बाजरा काश्त करना अंकित किया है। रामकरण ने न्यायालय नायब तहसीलदार, फागी में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर उसका कब्जा काश्त है, पटवारी हल्का द्वारा मिथ्या रिपोर्ट की गई है, मण्डल में दो निगरानिया लम्बित है जिनमें मौके व रेकार्ड की यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिऐ गऐ है। स्थगन आदेशों के प्रभावी रहते हुऐ भी नायब तहसीलदार, फागी ने अपीलाधीन आज्ञा दिनांक 25.01.2016 पारित की है जो विधि–विरूद्ध व न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन आज्ञा मृत व्यक्तियों रामकरण पुत्र धन्ना दत्तक पुत्र रूघनाथ, छोटू पुत्र धन्ना के विरूद्ध पारित की है जो प्रथम–दृष्टया अवैध होने से निरस्तनीय है। संयुक्त नोटिस जारी किया गया है, तामील भी नियमानुसार नहीं हुई है। समस्त कार्यवाही मनमाने तौर पर एकतरफा की गई है जो विधि–विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे। अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 25.01.2016 निरस्त की जावे।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी, अपीलाधीन आज्ञा पारित किये जाने की दिनांक को सिवायचक दर्ज है, इसी आधार पर धारा 91 की रिपोर्ट की जाकर कानून के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत अपीलाधीन आज्ञा पारित की है। निगरानियों में कोई अन्यथा आज्ञा पारित की जाती है, तो तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जावेगी अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया वरवक्त बहस अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का कथन रहा है कि पटवारी हल्का द्वारा धारा 91 की रिपोर्ट सयुंक्त रूप से की गई है और इसके आधार पर नोटिस प्ररूप–क जो जारी किया गया है वह भी संयुक्त नाम से जारी किया गया है जिसको मात्र रामकरण व सुवालाल के द्वारा प्राप्त किया गया है जबकि नियमानुसार नोटिस पृथक–पृथक दिया जाना व पृथक–पृथक तामील कराया जाना कानूनी रूप से आवश्यक है। इस प्रकार नोटिस दिये जाने एवं तामील कराये जाने में विधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। वरवक्त बहस अपीलान्ट् के विद्वान् अभिभाषक द्वारा यह भी कथन किया गया है कि रामकरण एवं छोटू का निधन हो चुका है और मृत व्यक्तियों के विरूद्ध पारित आदेश प्रांरभ से शून्य है। पैरोकार सरकार द्वारा उक्त कथन का खण्डन नहीं किया गया है जिससे जाहिर होता है कि अपीलाधीन आज्ञा मृतकों के विरूद्ध पारित की गई है जिसे विधि अनुरूप नहीं ठहराया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि धारा 91 की रिपोर्ट होने पर पत्रावली आदेशिका दिनांक 08.08.2005 की अनुपालना में दर्ज रजिस्टर की गई है और नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की पालना में रामकरण के उपस्थित होने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की पुनः जांच हेतु आज्ञा पारित की गई है परन्तु इस आज्ञा की पालना में जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जाहिर नहीं है। आदेशिका दिनांक 22.10.2005 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय ने आज्ञा पारित की है कि इस प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन है अतः फसल नीलाम नहीं की जावे और बागुजास्त कर फसल प्रतिवादी को संभलाई जावे। इसके पश्चात् बिना कोई नियमित सुनवाई किये पत्रावली में लगभग 07 वर्ष पश्चात् दिनांक 13.06.2012 को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आज्ञा पारित की गई कि अतिक्रमी को नोटिस जारी किया जावे कि स्थगन आदेश की वास्तविक स्थिति क्या है। यह नोटिस भी संयुक्त नाम से जारी किया गया है जिसके संबंध में गैर–सायल द्वारा वर्तमान स्थिति के दस्तावेज पेश किया जाना जाहिर है। आदेशिका दिनांक 24.04.2015 के अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में 29.07.2015 तक कार्यवाही स्थगित रखे जाने

की आज्ञा पारित की है इसके पश्चात् दिनांक 29.07.2015, दिनांक 30.09.2015, दिनांक 10.11.2015 एवं दिनांक 15.12.2015 में पूर्वानुसार पत्रावली दिनांक 25.01.16 को पेश करने की आज्ञा दी गई है। दिनांक 25.01.2016 को यह अंकित करते हुऐ कि पत्रावली में कार्यवाही चलते लगभग 11 वर्ष व्यतीत हो चुके है, अप्रार्थीगण को नोटिस दिया गया जिसमें अप्रार्थीगण नियत दिनांक को अनुपस्थित रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा न तो नियमानुसार नोटिस जारी किये गये और न ही नोटिसों की तामील की जांच की और यहां तक की पत्रावली पर यह तथ्य आने पर की पक्षकारों की मृत्य हो चुकी है उनके वारिसान को रिकार्ड पर भी नहीं लिया गया। अतः बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाये कार्यवाही किया जाना जाहिर होता है। पत्रावली में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी की गई स्थगन आज्ञाओं के बारे में भी कोई समालोचना नहीं की गई और बिना विचार किये बेदखली, शास्ति व फसल जब्त कर निलामी की कार्यवाही करने जैसी कठोर आज्ञा पारित की गई है जिसे रिकार्ड पर रखा जाना न्यायोचित नहीं पाते है। अतः उक्त विवेचानानुसार अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाती है अधिनस्थ न्यायालय की आज्ञा दिनांक 25.01.2016 निरस्त की जाती है और प्रकरण पुनः इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि सभी पक्षकारान को पृथक–पृथक नोटिस एवं मृतकों के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाकर मौके की अतिक्रमण किये गये व्यक्तियों की जांच कर माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी की गई स्थगन आज्ञाओं के संबंध में प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर